

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 548/2025

1. आत्माराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1. रणवीर सिंह पुत्र भादरराम
 2. राजेन्द्र कुमार पुत्र ओंकार सिंह
 3. मुकेश कुमार पुत्र ओंकार सिंह
 4. चन्द्रपति पत्नी ओंकार सिंह
 5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
- जाति जाट निवासीयान बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 12/3/24



आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषगर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- क. वादी आत्माराम को प्राप्त आराजी- चक नं० 650 आर डी के प०न० 225/309 मु० 67 किलानं० 21, 22, प०न० 225/310 मु० 80 किलानं० 1, 2, प०न० 225/309 मु० 67 किलानं० 13,14,17,18,

ख. प्रतिवादी सं० 1 रणवीरसिंह को प्राप्त आराजी:- चक नं० 650 आर.डी. के प०न० 225/309 मु० 67 किलानं० 4/1/.215, 4/2/.038 है० गै०मु० रास्ता, 5/1/.190, 5/2/.038 है० गै०मु० रास्ता, 5/3/.025 है० गै०मु० रास्ता, 6/1/228, 6/2/.025 है० गै०मु० रास्ता, 7/.253, 15/1/.228, 15/2/.025 है० गै०मु० रास्ता, प०न० 226/308 मु० 57 किलानं० 21/.253, 22/.253

ग. प्रतिवादी सं० 2 राजेन्द्र कुमार को प्राप्त आराजी:-चकनं० 650 आर.डी. के प०न० 225/307 मु० 45 किलानं० 18,19,20,21,22,23, प०न० 225/308 मु० 58 किलानं० 10/.253,

घ. प्रतिवादी सं० 3 मुकेश कुमार को प्राप्त आराजी:- चकनं० 650 आर.डी. के प०न० 226/308 मु० 57 किलानं० 3,4,7,8,13,14,15,

ड. प्रतिवादीया सं० 4 चन्द्रपति को प्राप्त आराजी:-चकनं० 650 आरडी के प०न० 225/308 मु० 58 किलानं० 1,2,3, प०न० 226/308 मु० 57 किलानं० 12/.253, सिंह 18/.253, इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता तकसीम कर रकमराज अलग कायम किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी



रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व
रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।
यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/3/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा
से जारी की गई।



(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी।